न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ....सन्तू सिंह........ बनाम........सीताराम........

किस्म मुकदमा........212 RT Act........ मु0नं0........66........ सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
05.04.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 06.05.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आ0ख0नं0 103/0.1600, 138/0.0600, 150/0.8700, 199/0.9100 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.0000 है0 दर्ज खाता 17 वाके ग्राम लाहडोद एव आ0 ख0 नं0 409/0.4679 दर्ज खाता 621 वाके ग्राम नांगलसालिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर मे प्रार्थी के हक हिस्से तक राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 06.05.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम	
6/5/21	वकुलाय फरीकेन उपस्थित अधिवक्तागण ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वादेश पालना में दि० 22.7.21 को पेश होवे।	
22/7/21	प्रार्थी वकील उपस्थित वास्ते RAD तलबी पत्रावली दिनांक 30/9/2021 को पेश हो।	
30/9/21	वकुलाय फरीकेन उप0/श्रीमान P.O. तहसीलदार राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 2.12.21 को उनके समक्ष पेश हो।	
29/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान में कैम्प नांगल सालिया में पेश हुई। प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र अपना वाद [illegible] प्रार्थना पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। शिविर प्रभारी गंगाधर मीणा उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)	प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested